

265
16


कठिनाईक उपपदक इष्टा | कठिनाईक कर्तव्य
दोनों ही दलकी हस्तगत | दलकाग मलक
केस करे / केस करते चल जायी करे | पलायन
दिनांक 11-8-16 से पेश की

नू-प्रवच अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

11 07
16

अपीलांत के शर्तना पत्र पर ~~केस~~ पलायनी आज पेश
पर ली गई। अपीलांत ने अपने इस शर्तना-पत्र में
निवेदन किया है कि मौजूदा अपील अर्थात् शर्तना
के शर्तना पत्र पर पारित आदेश के क्रिद्ध हैं तथा
तहत अदालत द्वारा झूल वाद राजीनामा के आचार
पर दिनांक 21.02.2014 को डिक्री किया जा चुका है,
इसलिये यह अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलांत
ने इस शर्तना पत्र के साथ अधिनस्थ -शायालय
द्वारा झूल वाद में पारित किये गये निर्णय व डिक्री
दिनांक 21.02.2014 की फोटो प्रत पेश की है।

हमने पलायनी का अपलोडन किया
तथा शर्तना पत्र पर गौर किया। शर्तना पत्र के साथ
पेश तहत -शायालय द्वारा झूल वाद में पारित निर्णय एवं
डिक्री दिनांक 21.02.2014 के अपलोडन से स्पष्ट है कि
झूल वाद राजीनामा के आचार पर डिक्री किया जा
चुका है। मौजूदा अपील तहत अदालत द्वारा शर्तना
पत्र 212 R.T Act पर पारित निर्णय के क्रिद्ध हैं। चूंकि
झूल वाद निर्णित हो चुका है, इसलिये अर्थात् शर्तना
के शर्तना पत्र में पारित निर्णय के क्रिद्ध पेश की गई
मौजूदा अपील वन-प्रेचस हो चुकी है। अतः अपील
वन-प्रेचस (प्रभावहीन) हो जाने के कारण रद्द कर दी
जाती है। पलायनी फंसल शुमार हो। नम्बर से उस की
आकर दारिद्र्य दफतर हो।


अधिकारी एवं पदेन